राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 857/2015 से 859/2015 /जयपुर

मै मंगला इस्पात (जयपुर) लि.,
बी–234 रोड नं 9 ,वीकेआई एरिया
जयपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, वृत–तृतीय,राज जयपुर ..... प्रत्यर्थी

खण्डपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के बैद, उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :– 17/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, तृतीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी आयरन व स्टील की एंगल, चैनल व सरिया के निर्माता है। उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन जयपुर को आर.ई.आर.सी से रिकार्ड प्राप्त हुई, जिसमें डाइरेक्टर जनरल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, एन्टीइवेजन शाखा जयपुर की सूचना के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण स.वा.क.अ घट द्वितीय प्रतिकरापंवचन, वृत तृतीय, राज. जयपुर द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी फर्म के व्यवसाय स्थल का आलौच्य अवधियों का सर्वेक्षण किया गया। वक्त सर्वेक्षण पर पाये गये माल की भौतिक गणना कर फर्द तैयार की गई। तत्पश्चात् राज. मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 75(1) के तहत अपीलार्थी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी की ओर से श्री सीताराम अग्रवाल डायरेक्टर फर्म की उपस्थिति में जांच व सत्यापन रिर्पोट तैयार की गई, जिसमें असत्यापित ब्रिकी अर्थात ब्रिकी का छिपाव एंव अघोषित माल पाया गया, जिस पर करापवंचन का अभियोग तैयार कर प्रकरण उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन जयपुर की अनुपालना में प्रकरण स.वा.क.अ घट–तृतीय प्रतिकरापवंचन, राज. जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) को स्थानांतरित किये गये। सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 25, 55, 61 एंव 75(8) के अंर्तगत कार्यवाही करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर आदेश 23.02.2015 द्वारा व्यवहारी के विरूद्ध आलौच्य अवधियों में कर, ब्याज व शास्तियों का आरोपण किया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.03.1015 द्वारा व्यवहारी की अपीलों को स्वीकार कर, प्रकरण सशक्त

लगातार.....2

अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिये। अपीलीय अधिकारी के आदेशों से क्षुब्ध होकर, अपीलीर्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में पेश की गयी है, जिनका विवरण नीचे लिखी तालिकानुसार दर्शाया जा रहा है:–

अपील सं	क.नि. वर्ष	कर	शास्ति	ब्याज	कुल रू
857/2015	2009–10	5,71,732	11,43,464	3,65,908	20,81,104
858/2015	2010–11	3,76,180	7,52,360	1,95,614	13,24,154
859/2015	2011–12	1,09,22,505 5,82,245	2,18,45,010 29,11,225	46,01,900	4,08,62,885

3. अपीलार्थी–व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रकरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों की विगत पर अवस्थित है। सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमीशन में समझौते के लिये अपीलार्थी का प्रकरण विचाराधीन था जिसके लिये अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर, कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया जिसमें समझौते के अनुसार उत्पाद का शुल्क को मध्यनजर रखते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित कर, कर निर्धारण किया जावे। इसके साथ ही अन्य अपीलीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही जावे, विशेष कर कतिपय संव्यवहार उसकी दोनों कम्पनियों में लिये गये है जो सर्वथा अनुचित है। अपीलीय अधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन अपील स्वीकार की जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित है एवं प्रकरणों को सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5- उभयपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के राजस्व विभाग (सीमा एंव केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 9.3.2015 को समझौता मामला का निस्तारण कर दिया गया है, जिसकी प्रति रेकार्ड पर उपलब्ध है।

अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.03.2015 द्वारा निम्न दिशा निर्देशों के साथ प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी प्रतिप्रेषित किया है, जो निम्न प्रकार है:–

(i) DGCEI स्तर पर अब उनकी जांच पर अब अंतिमतः (सेटलमेंट कमीशन में लम्बित स्थिति तक) क्या स्थिति है, उस ज्ञात करें।

(ii) DGCEI की जांच में जो साक्ष्य मिले थे, उनसे संबंधित सभी व्यक्ति, टांसपोर्ट्स अथवा अन्य फर्म से अपनी स्वतंत्र जांच करके evidence finding व conclusion तय किया जाए।

(iii) इन Conclusion पर अपीलार्थी समुचित सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया जाये।

(iv) चूंकि ऐसा ही प्रकरण अपीलार्थी की सिस्टर कन्सर्न मंगला प्रोडक्ट प्रा.लि बना है और अपीलार्थी व इस कंसर्न के संव्यवहार Interlinked है, अतः दोनों की ही स्वतंत्र जांच को समग्रतः (In totality) समान्तर रूप से निष्पादित की जाये।

लगातार.....3

(v) प्रतिप्रेषण के फलस्वरूप पारित होने वाले कर निर्धारण आदेश में अपीलार्थी के पर्ण्यावत का निर्धारण सेल प्राईज प्रावधानों के आधार पर हो न कि एक्साईज के मेन्यूफेक्चरिंग स्तर पर आंकलित किये जा रहे, आधार पर।

(vi) प्रतिप्रेषण के फलस्वरूप पारित होने वाले कर निर्धारण आदेश में, अपीलार्थी द्वारा पेश उपरोक्त जवाब पर (जो अब तक कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अविवेचित है) बिन्दुवार स्पेसिक स्पीकिगं आदेश पारित किया जाये।

चूँकि केन्द्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क समझौते के अन्तर्गत अपीलार्थी व्यवहारी के मामले में समझौता हो चुका है। अतः प्रकरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों द्वारा बनी विगत के आधार पर बनाया गया था जिसके लिये अपीलीय अधिकारी ने समझौता होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रकरणों को निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये थे। चूँकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में माल की कीमत Ex taclory होती है। अतः समझौते के अन्तर्गत स्वीकार की गई राशि व अन्य खर्चों को मध्यनजर रखते हुए विक्रय मूल्य का आंकलन कर, कर निर्धारण करने हेतु प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है, साथ ही अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रतिप्रेषित निर्देश कि यदि किसी संव्यवहार अपीलार्थी के मामले में निर्धारित हो चुके है तो उन संव्यवहारो को अन्य सहयोगी कम्पनी के निर्धारण में नहीं लिया जावे एवं अपीलीय अधिकारी के अन्य प्रतिप्रेषण निर्देशों के अनुार कार्यवाही की जावे।

अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30.03.2015 में दिये गये निर्देश उचित एवं विधिक है, उपरोक्त दिशा निर्देशों के आलोक में अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने की सीमा तक अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है, तद्नुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

17.5.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष